न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 42 / 2009

श्री रामदेव पुत्र श्री छोगा (मृतक) जरिये वारिसानः–

1. श्रीमति लाली
2. श्रीमति समोदा
   पुत्रियां श्री रामदेव
3. श्री किशनलाल पुत्र श्री रामदेव
   समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम रधुनाथपुरा तन चकवा तहसील सरवाड़, जिला अजमेर

.....*प्रार्थीगण*

बनाम

1. श्रीमति कंचन पत्नी श्री नन्दराम जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान 2008

अन्तर्गत नियम 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

———

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 13.07.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 03.02.2008 को ग्राम बोराड़ा में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्रीमति कंचन पत्नी श्री नन्दराम जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा के पक्ष में ग्राम चकवी स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 118 / 3 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि का नियमन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गए विवादित भूमि के नियमन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध बताते हुए विवादित भूमि के नियमन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तु जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन न्याय, नियम एवं रेकार्ड पर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा भूमिहीन कृषक है जिनके परिवार जीविकोपार्जन कृषि एवं कृषि मजदूरी पर आश्रित है। दिनांक 27.02.1976 को आयोजित राजस्व कैम्प में विवादित खसरा नम्बर 118/6 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि का आवंटन प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किया जाकर कब्जा संभलाया गया, इसी प्रकार दिनांक 24.06.1976 को सरवाड़ तहसील मुख्यालय पर आयोजित आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में उक्त खसरा नम्बर की शेष भूमि रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा व दखल सौंपा गया लेकिन राजस्व एजेन्सी द्वारा आवंटन आदेशों की पालना में राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया किन्तु प्रार्थीगण आवंटन दिनांक से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि राजस्व एजेन्सी द्वारा उक्त आवंटन आदेशों की पालना में राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किये जाने के कारण आवंटित भूमि रेकार्ड में सिवायचक ही दर्ज रही लेकिन मौके पर प्रार्थीगण का लगातार कब्जा काश्त रहा। प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किए गये आवंटन आदेशों को आज दिनांक तक किसी भी व्यक्ति द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में पारित आवंटन आदेश आज दिनांक तक प्रभाव में है। उक्त आवंटन आदेशों के आधार पर प्रार्थीगण बहैसियत आवंटी विवादित भूमि पर काश्तकारी स्वत्व रखते है। उनका यह भी कथन है कि संवत् 2056 में प्रार्थीगण के पिता द्वारा विवादित भूमि सिजारे पर काश्त हेतु ग्राम रघुनाथपुरा के ही निवासी श्री नन्दराम को दी गई जिससे प्रार्थी आधा बीज नन्दराम को प्रदान करता है एवं कृषि मेहनत श्री नन्दराम की रहती है तथा उत्पन्न फसल में से आधा हिस्सा प्रार्थी को श्री नन्दराम अदा करता आ रहा था लेकिन हाल ही में श्री नन्दराम द्वारा खरीफ फसल में से हिस्सा प्रदान करने के बाद जब प्रार्थी ने स्वयं ही काश्त करने की बात कही तो श्री नन्दराम द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि मैंने मेरी पत्नी के नाम करवा ली है। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थी सख्या 1 के पति ने सिजारे पर प्रदत्त काश्त के अनुसार संवत् 2056, 2058, 2060 एवं 2062–64 में काश्त के आधार पर पटवारी एवं तहसीलदार से दुर्भिसंधी कारित कर विवादित भूमि से संबंधित पूर्व आवंटन इत्यादि को छिपाकर आवंटन सलाहकार समिति को धोखा देकर विवादित भूमि अपने नाम करवा ली है। इस प्रकार अदृश्य रूप से राजस्व ऐजेन्सी द्वारा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को फेल करने की मंशा से आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। वकील प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि नियमानुसार पूर्व के आवंटन को निरस्त करवाने के पश्चात् ही पुनः भूमि का आवंटन किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.02.2008 को आवंटन शुदा भूमि को स्वयं के नाम नियमन करवा लिया है जो विधि विरूद्व है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.बी.जे. (18)2011 पेज 7 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किए गये नियमन आदेश में विवादित भूमि ग्राम चकवी में अवस्थित होना अंकित करते हुए नियमन आदेश पारित किया गया है, वहीं नियमन आदेश दिनांक 20.02.2008 की

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पालना में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 108 के कॉलम संख्या 14 में आवंटन शब्द अंकित किया गया है। इस प्रकार राजस्व ऐजेन्सी द्वारा नियमन आदेश एवं नामान्तरकरण दोनों में विरोधाभाषी प्रविष्टियां अंकित की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण के पिता के हक में पारित आवंटन आदेश दिनांक 27.02.1976 एवं 24.06.1976 की पालना में विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करवाई जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में समस्त गलत तथ्य अंकित किये गये है। विवादित भूमि का नियमन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमानुसार पूर्ण जांच पश्चात् पुराने कब्जे काश्त के आधार पर किया गया है, जो खसरा गिरदावरी संवत् 2051, 2052, 2056–60 के अवलोकन तथा धारा 91 के नोटिस व जुर्माना रसीदों से स्पष्ट है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने आगे कथन किया कि नियम 20(2) के अन्तर्गत केवल मात्र ऐसे नियमन को निरस्त करवाया जा सकता है जो तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्वक करवाया गया हो। अप्रार्थी के पक्ष में हुए नियमन में ऐसे कोई तथ्य रेकार्ड पर उजागर नहीं हुए है तथा न ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो। प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसके निरस्त हो जाने पर उनके द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के न्यायालय में अपील पेश की जाकर दिनांक 06.09.2010 को एकपक्षीय स्थगन प्राप्त कर ''राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के साथ ही विवादित भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं किया जाने'' बाबत् आदेश प्राप्त कर लिया। तत्तपश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के स्थगन आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.12.2010 से निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2010 में अन्तिम इबारत ''विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल नहीं किया जावें'' को निरस्त कर दिया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्व वाद वर्तमान में विचाराधीन है तथा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति रखने के आदेश प्रभाव में है। उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व अनुसूचित जाति/जनजाति (अ0 नि0 प्र0) अजमेर में फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया गया था जिसमें न्यायालय के आदेश दिनांक 24.12.2012 से उन्हें दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि का आवंटन वर्ष 1976 में उनके पिता के पक्ष में हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत छायाप्रतियां प्रमाणित नहीं है जो साक्ष्य में ग्रहण नहीं की जा सकती। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि वरवक्त नियमन राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज थी, यदि इनके पक्ष में आवंटन हुआ होता तो उक्त आवंटन का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में किया जाता। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि उनके पक्ष में आवंटित भूमि का नियमन अप्रार्थी के

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पक्ष में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है, चूंकि राजस्व रेकार्ड में आवंटी का नाम ही दर्ज नहीं था, जिससे धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। वकील अप्रार्थी ने अन्त में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक ओर तो नियमित राजस्व वाद पेश कर रखा है वहीं दूसरी ओर इस न्यायालय में आवंटित भूमि का राजस्व रेकार्ड में उनके नाम अंकन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। एक ही प्रकार के अनुतोष प्राप्ति हेतु अलग–2 न्यायालयों में कार्यवाही नहीं चल सकती। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। जवाबुल जवाब में वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ के समक्ष उदघोषणा बाबत् वाद पेश किया है जबकि इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र नियम 20(2) में पेश किया है, क्योंकि इस न्यायालय से प्रार्थीगण को Tital नहीं मिल सकता। दोनों प्रकरण अलग–अलग है। अप्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि आवंटन आदेश की छायाप्रतियां पेश की है जबकि उनके द्वारा प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विवादित भूमि पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा काश्त होने के कारण नियमानुसार किया गया है। अप्रार्थी के पुराने कब्जे की पुष्टि खसरा गिरदावरी संवत् 2051, 2052, 2056–60 से स्पष्ट है। प्रार्थीगण का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि विवादित भूमि उनके द्वारा अप्रार्थी के पति श्री नन्दराम को सिजारे पर दी थी। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त उनका यह कथन कि विवादित भूमि का आवंटन उनके पिता के पक्ष में दिनांक 27.02.1976 व 24.06.1976 को किया गया था, किन्तु राजस्व रेकार्ड में राजस्व ऐजेन्सी द्वारा इन्द्राज नहीं किया गया। इस संबंध में प्रार्थीगण को स्वयं सजग रहना आवश्यक था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा विवादित भूमि बाबत् सक्षम न्यायालय में नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी है। हम वकील अप्रार्थी के इस कथन से सहमत है कि एक ही अनुतोष हेतु दो अलग–अलग न्यायालयों में कार्यवाही नहीं की जा सकती। वरवक्त नियमन भूमि सिवायचक दर्ज थी तथा रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुए विवादित भूमि के नियमन में किसी प्रकार की अनियमितता की गई हो। प्रार्थीगण द्वारा भी आवंटन कमेटी के समक्ष कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.07.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner